

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No. 91/2024

नम्बर व तारिख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामिलमें जारी
हुए

26.12.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, मावे वाले, सापोल रोड़, डबानी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, मावे वाले, सापोल रोड़, डबानी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2238 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर: 332F/FSSA/2024 दिनांक 28.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी हरीसिंह इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी हरीसिंह ने सुनवाई तिथि 18.12.2024 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म व गलती स्वीकार की। प्रतिवादी हरीसिंह द्वारा जुर्म/गलती स्वीकार किये जाने से प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को ही प्रतिवादी को सुना गया। जिसने यह अनुरोध किया कि वह गांव के पशुपालकों से दूध खरीद कर मावा बनाता है, इसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। यह उसकी प्रथम गलती है। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करावे।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 03.11.2023 को हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित, मावे वाले, सापोल रोड़, डबानी, तहसील-रेवदर के वहां खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर फ्रिजर में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 25 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवणसिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, जाति- राजपुरोहित, निवासी- भारमलसिंह की ढाणी, झाबरा, तहसील- भिणियाना, जिला- जैसलमेर को भरकर दी एवं गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 2 किलोग्राम मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया।

.....लगातार

प्रति. जिला वरिष्ठ
सिरौही-307001.



तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S. Act Case No. 91/2024

नम्बर व तारिख
हुक्म जो
इस हुक्म की
तामिलमें जारी
हुए

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाइट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करके समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.11.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दन दास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 03.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी में प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2238 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./2960/Act/2023/3003 दिनांक 16.11.2023 में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना असुरक्षित खाद्य पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2238 की रेफरल लेब से जांच हेतु अभिहित

.....लगातार



प्रति. जिला बरिष्ठ

द्विरोही-307001.

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No. 91/2024

नम्बर व तारिख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामिलमें जारी
हुए

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2238 को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:332F/FSSA/2024 दिनांक 28.5.2024 में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2238, अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध चीनी से निर्मित) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, मावे वाले, सापोल रोड़, डबानी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, मावे वाले, सापोल रोड़, डबानी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.01.2025 को पेश हो।

(डॉ. द्विनेश राय सापेला)

धति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरौही-307001.

